पत्र-संख्या—318 (6)

रजि. नं. एस. एस. पी./एन. पी. 91/
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 20 अगस्त, 1997

श्रावण 29, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग–5

संख्या–3225/9-आ-5 97-68 डी०ए०-83

लखनऊ, 20 अगस्त, 1997

अधिसूचना

प० आ०—700

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित) अधिनियम, 1974 (उ० प्र० अधिनियम संख्या–30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा–4 की उपधारा (7) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना संख्या–1347/9 आ–5-95–68 डी०ए०-83, दिनांक 3 मई, 1995 को आंशिक रूप से परिष्कृत करते हुये अध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पद पर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के स्थान पर आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता,

सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 486 राजपत्र (हि०)—(1044)—1997—597+50+30 (मैक०)।

Scanned by CamScanner